निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :–70/2016
दायरा दिनांक :–06.06.2016
निर्णय दिनांक :– 31.7.23

उनवान

1. दीनदयाल आत्मज श्री गोविन्द दास जाति बेरागी निवासी ग्राम हनोतिया तहसील दीगोद जिला कोटा राज0
2. मुरलीधर आत्मज श्री गोविन्द दास जाति बेरागी निवासी ग्राम हनोतिया तहसील दीगोद जिला कोटा राज0
3. नमो नारायण आत्मज श्री गोविन्द दास जाति बेरागी निवासी ग्राम हनोतिया तहसील दीगोद जिला कोटा राज0 —**वादीगण**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला बारां —**प्रतिवादीगण**

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 92(ए) आर0 टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक :– 31.7.23

अभिभाषक उपस्थित :–1. देवकीनन्दन गालव एड0– वादी
2. श्री ओम भारद्वाज एड0– वादी

अभिभाषक वादी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 92 (ए) आर0 टी0 एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वादीगण के दादा रामचरण दास आत्मज श्री गणपत दासजी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की ग्राम बड़ां तहसील एवं जिला बारां में राजस्थान टीनेन्सी एक्ट लागू होने से पूर्व के खसरा नं0 1400 रकबा 26 बीघा 13 बिस्वा बडीहाली की आराजी की स्थित थी। जो सम्वत् 2011–12 तक वादीगण के दादा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही टीनेन्सी एक्ट लागू होने के बाद उक्त आराजी के खसरा नं0 बदल कर नवीन खसरा नं0 957 रकबा 26 बीघा 12 बिस्वा कायम कर अवैध एवं त्रुटि पूर्ण रूप से सेटलमेन्ट विभाग द्वारा माफी मन्दिर श्री गोपाल दास जी विराजमान कोटा पुजारी रामचन्द्र दास [illegible] दास के नाम दर्ज कर दी। उसके बाद हुए सेटलमेन्ट में खसरा नं0 957 के [illegible] खसरा नं0 1242 रकबा 3.68 हे0 कायम कर मंन्दिर श्री गोपाल जी विराजमान के दर्ज [illegible] श्री रामचरण दासजी के स्वर्गवास के बाद उक्त आराजी वादीगण के पिता श्री गोविन्द दास जी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 16:58:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

गई। और गोविन्द दास जी के स्वर्गवास के बाद वादीगण गोविन्द दासजी के स्थान पर वर्णित आराजी के खातेदार हो जाने से निरन्तर बहेसियत मालिक उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है। उक्त आराजी राजस्थान टीनेन्सी एक्ट लागू होने से पूर्व खातेदार वादीगण के दादा रहे है। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा त्रुटि पूर्ण एवं अवैध रूप से मन्दिर गोपाल जी का नाम दर्ज किया है। जिसे वादीगण दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 के अन्तर्गत वादीगण के दादा बहेसियत खातेदार काबिज काश्त होने व राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज होने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 9 के अनुसार खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। राज्य सरकार द्वारा भी भिन्न–भिन्न समय पर जारी मन्दिर मूर्तियों की आराजी व जागीर अधिनियम से गवर्न होने वाली आराजी के बाबत अभिसूचनाएं जारी की है। इसके बाबत् वादीगण कानूनी रूप से राजस्व रिकार्ड में खातेदार दर्ज किए जाने की पात्रता रखते है। जागीर रिज्यूम 1763 को भी वादीगण के दादा रामचरण दास आत्मज गणपत दास जी काबिज होने व बहेसियत उपयोग व उपभोग करने के कारण व राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज होने के आधार पर खातेदार हो जाने से राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। किन्तु सेटलमेन्ट विभाग द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बहार जाकर बिना किसी आदेश के व वादीगण के दादा को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना ही मन्दिर श्री गोपाल जी के नाम दर्ज कर दिया। और बाद में त्रुटी पूर्ण अवैध रूप से वर्ष 1992 की अधिसूचना के आधार पर वादीगण के दादा का नाम विलोपित कर दिया जो अवैध एवं त्रुटि पूर्ण है।

वादीगण द्वांरा अनेक बार प्रतिवादी को व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी में दर्ज करने हेतु व मन्दिर श्री गोपाल जी का नाम हटाये जाने बाबत प्रार्थना पत्र दिए। किन्तु उक्त प्रार्थना पत्रों पर जांच रिपोर्ट तलब करने के अलावा अन्य कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस कारण वादीगण को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वादीगण द्वारा अन्तिम बार दिनांक 25.05.2016 को प्रतिवादी से मिलकर सम्पूर्ण दस्तावेज के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर प्रतिवादी द्वारा विधिक राय लेकर बिना न्यायालय के आदेश के वादीगण का खातेदारी में बिना सक्षम आदेश के नाम दर्ज करने से इन्कार कर देने पर वादीगण के लिए ये वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया। वाद कारण दिनांक 25.05.2016 को वादीगण के प्रतिवादी से नाम दर्ज करवाने की कहने पर प्रतिवादी के इन्कार कर देने पर उत्पन्न हुआ।

वादी का वाद दर्ज रजि0 कर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी की ओर से जवाब पेश हुआ। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम बड़ा सम्वत् 2069–72 खाता सं0 647, नकल जमाबन्दी खाता मौजा बड़ा सम्वत् 1997–2000, नकल जमाबन्दी खाता मौजा बड़ा सम्वत् 2005–2008, नकल जमाबन्दी खाता मौजा बड़ा सम्वत् 2009–2012, नकल जमाबन्दी ग्राम बड़ा सम्वत् 2013–16 खाता सं0 283, नकल जमाबन्दी ग्राम बड़ा सम्वत् 2017–20 खाता सं0 353, नकल जमाबन्दी ग्राम बड़ा सम्वत् 2025–28 खाता सं0 353 पेश की गई। वादी द्वारा अपने पक्ष के पक्ष में परिपत्र राज0 सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर दिनांक 24.05.2007, नकल न्यायालय उपखण्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 16:58:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

अधिकारी इटावा मु0नं0 105/09 बउनवान रमजानी बनाम राज0 सरकार निर्णय दिनांक 29.09.2010 परिपत्र राज0 सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर दिनांक 24.05.2007 पेश किया गया।

वादी के वाद पत्र एवं प्रतिवादी के जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकी कायम की गई:–

तनकी नं0:–1 आया ग्राम बड़ा में आराजी खसरा नं0 1400 रकबा 26.13 बीघा राज0 टीनेन्सी एक्ट लागू होने से पूर्व वादीगण के दादा रामचरण दास पुत्र गणपत दास के खाते दर्ज थी।
वादीगण

तनकी नं0:–2 आया राज टिनेन्सी एक्ट लागू होने के बाद उक्त आराजी के नवीन खसरा नं0 957 रकबा 26.12 बीघा कायम कर अवैध तरीके से मार्फी मंदिर गोपाल दास जी विराजमान कोटा पुजारी रामचरण दास आत्मज गणपत दास के नाम दर्ज कर दी। **वादीगण**

तनकी नं0:–3 आया रामचरण दास जी की मृत्यु के पश्चात् आराजी वादीगण के पिता गोविन्ददास जी के नाम रिकार्ड में दर्ज रही तथा उनके बाद वादीगण उक्त आराजी पर बहेसीयत मालिक काबिज काश्त रहे है। तथा मंदिर गोपाल जी का नाम हटाकर अपने खाते दर्ज करा पाने के अधिकारी है। **वादीगण**

तनकी नं0:–4 आया वादीगण एवं उनके पूर्वज कभी भी बहेसियत खातेदार दर्ज रिकार्ड नहीं रहे तथा उक्त आराजी मंदिर मूर्ति श्री गोपाल जी विराजमान कोटा के खाते दर्ज है। तथा मंदिर मूर्ति नाबालिग होने से नाबालिग के विरूद्ध वाद चलने योग्य नहीं है। **प्रतिवादीगण**

तनकी नं0:–5 अनुतोष

बहस अभिभाषक अभिभाषक वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील वादी का कथन है कि वादीगण के दादा रामचरण दास के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में ग्राम बड़ा के खसरा नं0 1400 रकबा 26.13 बीघा थी। जो सम्वत् 2011–12 तक वादीगण के दादा के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज रही। टीनेन्सी लागू होने के बाद खसरा नं0 बदल कर नवीन खसरा नं0 957 रकबा 26.12 बीघा कायम कर त्रुटि पूर्ण रूप से सेटलमेन्ट विभाग द्वारा माफी मंदिर श्री गोपालदास जी विराजमान कोटा पुजारी रामचन्द्र दास पुत्र गणपत दास के नाम दर्ज कर दी। उसके बाद हुए सेटलमेन्ट में खसरा नं0 957 के स्थान पर खसरा नं0 1242 रकबा 3.68 हे0 कायम कर मंदिर श्री गोपाल जी विराजमान के नाम दर्ज की गई। रामचरण दास जी के स्वर्गवास के बाद विवादित आराजी वादीगण के पिता गोविन्ददास के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गई। गोविन्द दास जी के मरने के बाद वादीगण खातेदार हो जाने से निरन्तर काबिज काश्त करते चले आ रहे है। राज0 भूमि सुधार एवं जागीर पुनरगृहण अधिनियम 1952 के अन्तर्गत वादीगण के दादा खातेदार काबिज काश्त होने व सरकार रिकार्ड में नाम दर्ज होने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 9 के अनुसार खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। त्रुटि वश 1992 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 16:58:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

Scanned with CamScanner

अधिसूचना के आधार पर वादीगण के दादा का नाम विलोपित कर दिया। वादीगण का वाद स्वीकार किया जावे। तथा वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादीगण के वाद का तनकीवार निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है।

तनकी नं0:—1 इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण को था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम बड़ा सम्वत् 2069—72 खाता सं0 647 के अनुसार मंदिर श्री गोपाल जी विराजमान कोटा दर्ज होना पाया जाता है। नकल जमाबन्दी खाता मौजा बड़ा सम्वत् 1997—2000 में माफी मंदिर श्री गोपाल जी विराजमान कोटा किशोरपुरा दर्ज है। उक्त खाता बन्दोबस्त में बहुक्म माल सदर 19.06.1925 दाखिल खारिज रामचरण दास के नाम मंजूर हुआ दर्ज है। माफी मंदिर के साथ—साथ खातेदार रामचरण पुत्र गणपत दास जात वैरागी दर्ज है। खसरा नं0 1400 रकबा 26.13 बीघा जेली मदन गोपाल, कृष्ण गोपाल, श्यामसुन्दर 1/2 गंगाराम माली 1/2 दर्ज नकल खाता मौजा सम्वत् 2005—2008 में माफी मंदिर श्री गोपाल जी विराजमान कोटा खातेदार रामचरण बेटा गणपत दास जाती बैरागी दर्ज है। नकल खाता मौजा सम्वत् 2009—12 में माफी मंदिर श्री गोपाल जी विराजमान कोटा दर्ज है। तथा खातेदार रामचरण दास पुत्र गणपत दास जात बैरागी दर्ज होना पाया जाता है। इससे यह साबित होता है। कि विवादित आराजी मंदिर गोपाल जी विराजमान कोटा के नाम दर्ज है। माफी मंदिर के साथ—साथ रामचरण दास का नाम भी दर्ज है। टिनेन्सी एक्ट लागू होने से पूर्व वादीगण के दादाजी के नाम विवादित आरजी खाते में दर्ज नहीं थी। यह भूमि माफी मंदिर गोपालजी विराजमान कोटा के नाम दर्ज थी। तथा वर्तमान में भी दर्ज है। अतः यह तनकी वादीगण के विरूद्ध दर्ज निर्णित की जाती है।

तनकी नं0:—2 इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड माफी मंदिर गोपाल जी विराजमान कोटा का नाम दर्ज है। वादीगण के द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य व सबूत पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि टिनेन्सी लागू होने से पूर्व वादीगण के दादा रामचरण दास के खातेदारी में थी। तथा टिनेन्सी लागू होने के बाद माफी मंदिर गोपाल जी विराजमान कोटा पुजारी रामचरण दास पुत्र गणपत दास दर्ज कर दिया हो। वादीगण तनकी को साबित करने में विफल रहे है। अतः यह तनकी वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं0:—3 इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण को था। सेटलमेन्ट के समय पुराने खसरा नं0 को बदल कर नये खसरा नं0 कायम किये गये थे। परन्तु भूमि में खातेदारों को नहीं बदला गया। भूमि जिसके नाम दर्ज थी। उसी का नाम दर्ज किया गया था। वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया। जिससे यह साबित हो सके कि सेटलमेन्ट करते समय सेटलमेन्ट विभाग द्वारा खातेदार रामचरण दास के स्थान पर माफि मंदिर गोपाल जी विराजमान कोटा दर्ज कर दिया। सेटलमेन्ट से पूर्व भूमि बीघा बिस्वा में थी। जिसे

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 16:58:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

Scanned with CamScanner

हेक्टयर में अंकित किया गया है। मंदिर की भूमि के साथ–साथ पुजारी का नाम दर्ज रिकार्ड था जिससे पुजारी मंदिर की सेवा पुजा के साथ–साथ मंदिर की भूमि काश्त करता रहे। वादीगण इस तनकी को साबित करने में विफल रहे है। अतः यह तनकी वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं0:–4 इस तनकी को साबित करने भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल मौजा सम्वत् 1997–2000, 2005–2008, 2009–2012 नकल जमाबन्दी ग्राम बड़ा सम्वत् 2013–16, सम्वत् 2017–2020, 2025–28 तक माफी मंदिर श्री गोपाल जी विराजमान कोटा के साथ पुजारी रामचरण दास पुत्र गणपत दास दर्ज है। सम्वत् 2025–28 के बाद की जमाबन्दी वादीगण द्वारा पेश नहीं की है। जिससे यह साबित हो सके कि वादीगण के दादाजी के मरने के बाद पिता गोविन्द दास का नाम रिकार्डमें दर्ज हुआ। तथा वादीगण के पिता के बाद वादीगण का नाम दर्ज हुआ हो। वादीगण यह साबित करने में विफल रहे है। वर्तमान जमाबन्दी ग्राम बड़ा सम्वत् 2069–72 खाता सं0 647 में मंदिर श्री गोपाल जी विराजमान कोटा दर्ज होना पाया जाता है। वादीगण द्वारा कब्जे बाबत् भी ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य एवं सबूत पेश नहीं किया जिससे वादीगण का कब्जा काश्त साबित हो सके। वादीगण यह तनकी साबित करने में विफल रहे है। अतः यह तनकी वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं0:–5 इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी के अनुसार विवादित आराजी माफी मंदिर श्री गोपाल जी विराजमान कोटा के नाम दर्ज रिकार्ड है। माफी मंदिर के साथ पुजारी का नाम भी दर्ज चला आ रहा था। परन्तु राजस्थान सरकार द्वारा राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के पत्र कमांक प. 3 (2)राज–6/2007/14 जयपुर दिनांक 24.05.2007 में जारी परिपत्र में यह निर्देश दिये गये कि राज्य सरकार द्वरा परिपत्र दिनांक 13.12.1991 की निरन्तरता में स्पष्ट किया जाता है। कि मंदिर मूर्ति शाश्वत अवयस्क है। इसकी खातेदारी भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते है। राज्य सरकार द्वारा एक परिपत्र दिनांक 13.12.1991 को जारी कर जमाबन्दियों से पुजारियों के नाम हटवाये गये थे। मंदिर मूर्ति नाबालिग होने से मंदिर की भूमि पर खातेदारी अधिकार नहीं दिए जा सकते। अतः यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

उपरोक्त विवेचनानुसार उक्त तनकियात के निर्णय से यह तथ्य सामने आते है, कि वादीगण के दादाजी कभी खातेदार नहीं थे। और न ही वादीगण के पिता खातेदार रहे है। वादीगण को माफी मंदिर गोपाल जी की भूमि पर खातेदारी नहीं दी जा सकती। क्योंकि पहले जमाबन्दी में मंदिर की पुजारियों का नाम जर्ये पुजारी दर्ज था। परन्तु राज्य सरकार द्वरा दिनांक 13.12.1991 को परिपत्र जारी कर समस्त पुजारीयों के नाम मंदिर की भूमियों से हटा दिए गए। वादी माफी मंदिर श्री गोपाल जी विराजमान कोटा की भूमि पर खातेदारी नहीं दी जा सकती। वादीगण का वाद खारिज किया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 16:58:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
वाराँ

Scanned with CamScanner

(6)

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। तद्नुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 16:38:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 70 / 2016	अन्तर्गत 88,89,188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांकः— 31.07.2023
समक्ष : श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषक वादीः—श्री ओम भारद्वाज	अभिभाषक प्रतिवादीः—श्री	

वाद शीर्षक

उनवान

1. दीनदयाल आत्मज श्री गोविन्द दास जाति बेरागी निवासी ग्राम हनोतिया तहसील दीगोद जिला कोटा
2. मुरलीधर आत्मज श्री गोविन्द दास जाति बेरागी निवासी ग्राम हनोतिया तहसील दीगोद जिला कोटा
3. नमो नारायण आत्मज श्री गोविन्द दास जाति बेरागी निवासी ग्राम हनोतिया तहसील दीगोद

—वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला बारां —प्रतिवादीगण

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेषित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार ..... रू0 का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेष मेरें हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 31.07.2023 .को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बारांजिला—बारां

व्ययानुतोष			
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वादपत्र / लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य / क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 16:58:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner